मु .नं. 22/2021 रामा बनाम सरकार

06.11.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 1 को बार बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सुरावा पटवार हल्का सुरावा तहसील सांचौर के खेत नवीन खसरा नम्बर 261 रकबर 3.12 हैक्टयर भूमि का मौल खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। तब से प्रार्थी का शांतिपूर्ण उपयोग, उपभोग व कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी खेतीबाड़ी करता है एवं मौके पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई है। लेकिन सैटलमेंट अधिकारीयों द्वारा लिपीकीय भूल से उक्त वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 65 रकवा 3.12 हैक्टयर की किस्म गैर मुमकिन श्मशान दर्ज कर दी गई है। जबकि उक्त भूमि कभी श्मशान के उपयोग में न तो ली गई है एवं न ही वर्तमान में उक्त भूमि में कोई श्मशान है। जबकि ग्राम सुरावा की छतीस कौम के लोगों के श्मशान की सार्वजनिक भूमि खसरा नम्बर 165 रकबा 0.45 हैक्टयर गैर मुमकिन श्मशान की आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 क अधिनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी वादग्रस्त आराजी पर आये तथा प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि भूमि राजस्व रेकर्ड में श्मशान के नाम दर्ज है। इस कारण आप कब्जा खाली कर दो वरना मुझे जबरन तुम्हें बेदखल करना पड़ेगा। अगर मुझ प्रार्थी को बेदखल कर दिया गया तो मुझ प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसका आंकलन रूपयो पैसों में किया जाना कतई संभव नही होगा। ऐसी सुरत में अप्रार्थीगण को मूल वाद ताफैसला तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा से पांबद फरमावे।

हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner